र.नामा तलबी सरकार

# न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर जिला अजमेर

## राजस्व प्रार्थना पत्र सं. 39 / 2015

1. भूरालाल पुत्र श्री हरजी
2. पांचू पुत्र श्री घीसा
3. सोहन पुत्र श्री लादू

जाति रेगर निवासी ढसूक तहसील किशनगढ व जिला अजमेर

.........प्रार्थीगण

**बनाम**

1. रामेश्वर पुत्र श्री हीरा जाति बलाई, निवासी ग्राम ढसूक तहसील किशनगढ जिला अजमेर
2. आवंटन सलाहकार समिति जरिये शिविर प्रभारी अधिकारी विद्वान उपखण्ड अधिकारी किशनगढ।

......अप्रार्थीगण

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) एवं 20 (2) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन) नियम 1970**

**उपस्थित :–**

| | | |
|---|---|---|
| 1 | श्री सोहनपाल सिंह चौधरी | अभिभाषक प्रार्थी |
| 2 | श्री डूंगर सिंह राठौड़ | अभिभाषक अप्रार्थी 1 |
| 3 | श्री ओम प्रकाश गुर्जर, | राजकीय अभिभाषक |

## –: आदेश :–

**दिनांक– 07.07.2025**

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि ग्राम ढसूक तहसील किशनगढ में स्थित सिवायचक वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 575 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा का खिलाफ कब्जा एवं कानून राजस्व अभियान के अन्तर्गत अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में आदेश दिनांक 20.02.2008 के द्वारा नियम विरूद्ध नियमन कर दी गई। उक्त नियमन आदेश 20.02.2008 के विरूद्ध प्रार्थीगण ने उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण के नाम नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 1 की ओर से श्री डूंगर सिंह अभिभाषक उपस्थित आये। पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई। उपस्थित उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर

प्रार्थी अभिभाषक ने प्रार्थना पत्र में उठाये गये बिन्दुओ की ताईद करते हुए व्यक्त किया कि ग्राम ढसूक तहसील किशनगढ में स्थित सिवायचक वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 575 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा का खिलाफ कब्जा एवं कानून राजस्व अभियान के अन्तर्गत अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में आदेश दिनांक 20.02.2008 के द्वारा नियम विरूद्ध नियमन कर दी गई। जिसके विरूद्ध प्रार्थीगण ने उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। ग्राम ढसूक में स्थित वादग्रस्त सिवायचक भूमि

जिला कलक्टर
अजमेर

खसरा नम्बर 575 के रकबा 02 बीघा 2 बिस्वा पर प्रार्थीगण का कब्जा काश्त गत 50 वर्ष से चला आ रहा है जो आज दिनांक को भी मौके पर बदस्तूर जारी है। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि को प्रार्थीगण ही भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के नियम 20 में वर्णित कानूनी प्रावधानों के अन्तर्गत अपने पक्ष में नियमित करवाने के प्रथम अधिकारी है, जो कानूनी प्रावधानों के विपरीत होने के कारण निरस्त किए जाने योग्य है। इसके बावजूद खिलाफ कब्जा एवं कानून वादग्रस्त भूमि अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में आदेश दिनांक 20.2.2008 के द्वारा नियमन कर दी गई। वादग्रस्त भूमि को अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में नियमन की जाने के पूर्व किसी भी प्रकार की उद्घोषणा जारी नहीं की गई थी। इस कारण प्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि को अपने पक्ष में नियमित करवाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं कर सके थे। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 में वर्णित नियम 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 लगायत 13 में वर्णित कानूनी प्रावधानो के एकदम विपरीत जाकर आदेश दिनांक 20.02.2008 अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में पारित किया गया है। ग्राम ढसूक तहसील किशनगढ में स्थित वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 575 के रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा पर प्रार्थीगण का कब्जा काश्त पिछले 50 वर्षो से आज दिनांक तक लगातार चला आ रहा है। इसी कारण प्रार्थीगण के विरूद्ध धारा 91 एल.आर.एक्ट के अन्तर्गत तहसीलदार द्वारा कार्यवाही की गई एवं की जा रही है जिसके सबूत के तौर पर प्रार्थीगण धारा 91 एल.आर. एक्ट के नोटिस की प्रतियां प्रस्तुत कर रहे है जिससे स्पष्ट साबित हो जाता है कि उक्त वर्णित वादग्रस्त भूमि के मौके पर अप्रार्थी संख्या 1 का कब्जा काश्त कभी भी नहीं रहा है। इस कारण आवंटन नियम 1970 के नियम 20 में वर्णित कानूनी प्रावधानों के अन्तर्गत प्रार्थीगण ही वादग्रस्त भूमि को अपने पक्ष में नियमन करवाने के प्रथम अधिकारी है। उक्त कानूनी बिन्दु के आधार पर ही अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में पारित नियमन आदेश दिनांक 20.02.2008 निरस्त किये जाने योग्य है। राजस्व शिविर अभियान के दौरान पटवारी हल्का, आई.एल.आर. एवं तहसीलदार ने कब्जा मौका की रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की थी परन्तु अप्रार्थी संख्या 1 को नाजायज तौर पर फायदा पहुंचाने की नियत से नियमन आदेश दिनांक 20.02.2008 में ही पहले से तैयार शुदा पैरा में खानापूर्ति करते हुए कब्जा दर्शा दिया जो कि मौके के एकदम विपरीत है। इस प्रकार अप्रार्थी संख्या 1 का वादग्रस्त भूमि के मौके पर कब्जा काश्त आज दिनांक तक किसी भी रूप में नहीं रहा है। इस कारण कानूनन अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में वादग्रस्त भूमि नियमन नहीं की जा सकती है। वादग्रस्त भूमि को अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में नियमन किए जाने के पूर्व उसके खातेदारी में कितने बीघा भूमि दर्ज है इस बाबत अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा तस्दीकशुदा फार्म नहीं भरा गया तथा पटवारी हल्का एवं तहसीलदार द्वारा कोई जांच पडताल नहीं की गई। ग्राम ढसूक तहसील किशनगढ में स्थित सिवायचक वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 575 का रकबा 3 बीघा 6 बिस्वा है परन्तु मौके पर रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा ही है जिस पर प्रार्थीगण का कब्जा काश्त चला आ रहा है जिसकी ताईद में धारा 91 एल.आर.एक्ट के नोटिस एवं खसरा परिवर्तनशील, खसरा गिरदावरी इत्यादि राजस्व रिकार्ड प्रस्तुत कर रहे है जिसके आधार पर संदेह से परे साबित हो जाता है कि वादग्रस्त भूमि पर वरवक्त नियमन कब्जा काश्त प्रार्थीगण का ही था एवं आज भी मौके पर कब्जा काश्त प्रार्थीगण का ही है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रभारी शिविर अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में पारित नियमन

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर

जिला कलक्टर
अजमेर

आदेश दिनांक 20.02.2008 को निरस्त किया जाकर वादग्रस्त भूमि को प्रार्थीगण के पक्ष में नियमन किए जाने के आदेश प्रदान करें।

अप्रार्थी अभिभाषक ने जवाब प्रस्तुत नहीं किए जाने से जवाब बंद किया गया। अप्रार्थी अभिभाषक ने दौराने बहस निवेदन किया गया की अप्रार्थी को हुए आवंटन/नियमन दिनांक 20.02.2008 के विरूद्ध आधारहीन रूप से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है क्योंकि अप्रार्थी भूमिहीन कृषक होकर आवंटन/नियमन की सभी योग्ताओ को पूरा करता था एवं विवादित आराजीयात वरवक्त आवंटन राजकीय भूमि दर्ज होकर आवंटन/नियमन के लिए उपलब्ध भूमि थी जिसमें किसी भी प्रकार का फ्रोड, मिस रिप्रजेन्टेशन अथवा विधिक शर्तो का उल्लंघन नहीं हुआ है। अप्रार्थी पिछले कई वर्षो से विवादित आराजी पर बहैसियत आवंटी/नियमन काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। चूंकि खातेदारी अधिकार आवंटन/नियमन की समस्त शर्तो की पालना के उपरान्त ही प्राप्त होते है ऐसी स्थिति में इतने पुराने आवंटन को मिथ्या एवं मनगढन्त आरोपो के आधार पर निरस्त नहीं किया जा सकता है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14 (4) राजस्थान भू–आवंटन नियम 1970 को खारिज फरमावे।

हमने उभय पक्ष की बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया रेकॉर्ड पत्रावली का अवलोकन किया। विवादित आराजियात शिविर प्रभारी अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी किशनगढ द्वारा दिनांक 20.02.2008 को रामेश्वर पुत्र हीरा जाति बलाई निवासी ढसूक तहसील किशनगढ जिला अजमेर को खसरा नम्बर 575 रकबा 01–04–00 नियमन की गई थी। अप्रार्थी द्वारा जरिये अधिवक्ता उपस्थित हो जाने के उपरान्त भी जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया और ना ही विवादित भूमि के सबंध में कब्जेकाश्त सम्बन्धित किसी भी प्रकार के दस्तावेज साक्ष्य पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं किए गए है। अतः प्रार्थना पत्र नियम 14(4), 20(2) राज. भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम 1970 उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में स्वीकार कर ग्राम ढसूक तहसील किशनगढ जिला अजमेर के आराजी खसरा नम्बर 575 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा भूमि का अप्रार्थी के हक में किया गया नियमन निरस्त किया जाता है तथा भूमि सिवायचक दर्ज करने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार तत्काल नामान्तरकरण दर्ज कर राजहित में कब्जा प्राप्त करें।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 07.07.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(लोक बन्धु)
जिला कलक्टर, अजमेर